न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर (म0प्र0)

प्र0क्र0 /निगरानी 2014 R/1458-II/14

1. खिलन सिंह पुत्र हीरालाल काछी
2. मानसिंह पुत्र सुंदरलाल काछी
3. कल्लू पुत्र सुन्दरलाल काछी

सभी निवासी ग्राम डोंगरा तहसील एवं जिला अशोकनगर (म.प्र.)

..... निगरानीकर्ता

बनाम

देवी सिंह पुत्र हीरालाल काछी निवासी ग्राम डोंगरा तहसील एवं जिला अशोक नगर (म.प्र.)

..... प्रतिनिगरानीकर्ता

निगरानी आधीन धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं. 1959 विरूद्ध अधीनस्थ अनुविभागीय अधिकारी अशोक नगर के प्र0क्र0 100 अपील 2010–11 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 12–02–2014 के विरूद्ध।

आदरणीय महोदय,

सेवा में सादर निगरानी प्रस्तुत कर निवेदन है कि :–

मामले के संक्षिप्त तथ्यः–

1. यह कि, ग्राम डोगरा स्थित खाते का बंटवारा किये जाने हेतु निगरानीकर्तागण एवं प्रतिनिगरानीकर्ता एवं भगवान सिंह पुत्र सुंदर, गजराज सिंह पुत्र कमरलाल, रामप्यारी बाई पुत्री खुमान सिंह सभी सम्मलित होकर आपसी सहमति के आधार पर

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक – निग0 1458–दो/14 जिला – अशोकनगर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21.6.16	प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण क्रमांक 100/अपील/2010–11 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 12–12–14 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 44(2) के तहत पेश की गई है । आलोच्य आदेश द्वारा अनुविभागीय अधिकारी ने अनावेदक द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत अपील में हुए विलंब को क्षमा करते हुए अपील अवधि अंदर मान्य की गई है । 2/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत मौखिक एवं लिखित तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख तथा आलोच्य आदेश का अवलोकन किया । अभ्झिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अनावेदक द्वारा विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 9–1–2009 के विरूद्ध अवधि बाह्य अपील अधीनस्थ न्यायालय में पेश की गई, जिसमें जानकारी का दिनांक 23–4–11 बताया गया है । अधीनस्थ न्यायालय का यह निष्कर्ष उचित प्रतीत होता है कि जब भूमि आवेदक के एकाकी नाम पर थी तो उसके द्वारा बटवारा कराए जाने का क्या औचित्य था दूसरे आवेदक के नाम की भूमि को अनावेदक को और अनावेदक के नाम की भूमि को आवेदक को दिया गया है । दर्शित परिस्थिति में मैं यह पाता हूँ कि इस प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विलंब क्षमा करते हुए अपील को अवधि अंदर मान्य किए जाने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की गई है । विलंब क्षमा करना या न करना यह अधीनस्थ न्यायालय का विवेकाधिकार है	

R. 1458. II/14 (अशोकनगर)

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेष	पक्षकारों अथवा अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	और उसमें तभी हस्तक्षेप किया जा सकता है जब कोई विधिक या सारवान त्रुटि हो इस प्रकरण में इस प्रकार की कोई त्रुटि अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में नहीं पाई जाती है । अतः इस प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी का जो आदेश है उसमें हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है । गुणदोष पर प्रकरण का निराकरण अभी अधीनस्थ न्यायालय में होना है जहां आवेदक को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर उपलब्ध है । उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी निरस्त की जाती है तथा अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश स्थिर रखा जाता है । उभयपक्ष सूचित हों एवं अभिलेख वापिस हो । सदस्य	